



क्रमांक: 311/इं.क.स.वि.वि./2023/छात्रवृत्ति

खैरागढ़, दिनांक 09/01/2023

// सूचना //

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 12वीं योजना अंतर्गत जूनियर रिसर्च फेलोशीप हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त दिशा निर्देश की प्रति विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

उल्लेखित दिशा निर्देश के कंडिका क्रमांक 14(ii) के अनुसार जे.आर.एफ. से एस.आर.एफ. अपग्रेड करने हेतु संबंधित पात्र शोधार्थी द्वारा नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करें तथा नियत समयावधि में जे.आर.एफ. से एस.आर.एफ. में अपग्रेड करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय के उपरोक्त निर्देशों के पालन नहीं करने की दशा में संबंधित शोधार्थी को होने वाली किसी भी आर्थिक/आकादमिक या अन्य किसी भी क्षति के लिए संबंधित शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

आदेशानुसार,

(प्रो. आई. डी. तिवारी)
कुलसचिव

क्रमांक: 312/इं.क.स.वि.वि./2023/छात्रवृत्ति

खैरागढ़, दिनांक 09/01/2023

प्रतिलिपी -

1. समस्त अधिठातागण/विभागाध्यक्षगण की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी, शोध विभाग, इं.क.स.वि.वि. की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कुलपति सचिवालय/कुलसचिव कार्यालय।
4. IQAC कार्यालय।
5. जनसंपर्क अधिकारी।
5. सूचना फलक

(प्रो. आई. डी. तिवारी)
कुलसचिव